राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष नं. : 0141–2227884,
ई–मेल : seprd1235@gmail.com & rajpr.xentc@rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ 4 (788) पंरावि / पीसी / जल शक्ति अभियान / 2019 / 1693 जयपुर, दिनांक : 20/07/2019.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद–समस्त

विषय :– जल शक्ति अभियान के क्रियान्यन बाबत।
प्रसंग :– पूर्व विभागीय समंक पत्रांक 1526 दिनांक 09.07.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा जल शक्ति अभियान के तहत 14वां वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग पंचम के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में **यथा संभव एक कार्य अभियान में स्वीकृत किया जाकर, क्रियान्वयन** करवाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त पत्र की निरन्तरता में निर्देशित किया जाता है कि :–

1. प्रत्येक ग्राम पंचायत में 14वां वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग पंचम के अन्तर्गत एक कार्य के स्थान पर कम से कम 4 कार्य स्वीकृत कर, क्रियान्वित करावें। हैण्डपम्प, बोरिंग, पानी की टंकी इत्यादि के आस–पास बह रहे व्यर्थ पानी को रोकने हेतु सोख्ता गड्डे के निर्माण को प्राथमिकता प्रदान करें। जल संरक्षण के अन्य कार्यो को भी सम्पादित कराया जा सकता है।
2. ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित राजकीय परिसरों में निर्मित रूफ टॉप रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की मरम्मत / रखरखाव का कार्य भी सुनिश्चित किया जावें। (विभागीय पत्र क्रमांक 1587 दिनांक 15.07.2019)
3. इन कार्यो की तकनीकी स्वीकृती राज ई–पंचायत सॉफ्टवेयर के माध्यम से जारी की जावेगी ताकि इन कार्यो की प्रगति की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।
4. उक्त कार्यो को दिनांक 30.08.2019 तक पूर्ण करावे।

भवदीय

19/7

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
2. आयुक्त, जल ग्रहण एवं भू–संरक्षण विभाग।
3. जिला कलक्टर, समस्त।
4. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त, जिला समस्त।
6. ए.सी.पी, मुख्यालय को उक्त पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने बाबत।

(मुकेश माहेश्वरी)
अधीक्षण अभियन्ता (प्रो.)

Scanned by CamScanner

क्र. सं.	जिले का नाम	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	जल शक्ति अभियान हेतु एस.एफ.सी.–पंचम एवं एफ.एफ.सी. अन्तर्गत जिलेवार लक्ष्य
1	2	3	4	5
1	अजमेर	9	282	1128
2	अलवर	14	512	2048
3	बांसवाडा	11	346	1384
4	बारां	7	221	884
5	बाडमेर	17	489	1956
6	भरतपुर	10	374	1496
7	भीलवाडा	12	384	1536
8	बीकानेर	7	290	1160
9	बून्दी	5	183	732
10	चित्तौडगढ	11	290	1160
11	चुरू	7	254	1016
12	दौसा	6	233	932
13	धौलपुर	5	171	684
14	डूंगरपुर	10	291	1164
15	गंगानगर	9	336	1344
16	हनुमानगढ	7	251	1004
17	जयपुर	15	532	2128
18	जैसलमेर	3	140	560
19	जालौर	8	274	1096
20	झालावाड	8	252	1008
21	झुंझूनू	8	301	1204
22	जोधपुर	16	466	1864
23	करौली	6	227	908
24	कोटा	5	155	620
25	नागौर	14	467	1868
26	पाली	10	321	1284
27	राजसमन्द	7	207	828
28	स.माधोपुर	6	200	800
29	सीकर	9	342	1368
30	सिरोही	5	162	648
31	टोंक	6	230	920
32	उदयपुर	17	544	2176
33	प्रतापगढ	5	165	660
	कुल योग	**295**	**9892**	**39568**

नोट :– उपरोक्त लक्ष्यों में से प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक रूफ टोप रैन वाटर हार्वेस्टिंग टांका का नवीन निर्माण / मरम्मत का कार्य होना अनिवार्य है।

Scanned by CamScanner